तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2343/2011/जयपुर छाजूराम बनाम मैसर्स अंजली बिल्ड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः—
श्री हिमाशु सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री विजय सोनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 7.11.12**

हस्तगत निगरानी प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—01—2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि पूर्व वाद संख्या 67/2005 बउनवानी छाजूराम बनाम मैसर्स रॉयल ऑरचिड फार्म प्राईवेट लिमिटेड व अन्य में तथा पश्चात्वर्ती वाद संख्या 179/2007 बउनवानी मैसर्स अंजली बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड बनाम छाजूराम में मूल रूप से विवादित भूमि एवं पक्षकारान समान है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किये जाना आवश्यक होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। उनका कथन है कि पश्चात्वर्ती वाद में भूमि विवादग्रस्त के अलावा अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के सम्बन्ध में जो स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसलिए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2343/2011/जयपुर छाजूराम बनाम मैसर्स अंजली बिल्ड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि के साथ अन्य खसरा नम्बरान का उल्लेख कर देने से दोनों दावों की मूल प्रकृति में परिवर्तित नहीं होती है। उनका यह भी कथन है कि पश्चात्वर्ती वाद में जो अनुतोष चाहा गया है वह पूर्ववर्ती वाद में पारित होने वाले निर्णय पर ही निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती कार्यवाही को स्थगित रखा जाना आवश्यक होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित कर अपने अधिकारों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता की है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पश्चात्वर्ती वाद संख्या 179/2007 में की जाने वाली समस्त कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद संख्या 67/2005 में अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि पूर्ववर्ती वाद में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल मात्र दो खसरा नम्बरान बाबत् ही चाहा गया है जबकि पश्चात्वर्ती वाद में बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नौ खसरा नम्बरान बाबत् चाहा गया है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में खसरा नम्बर व वाद कारण अलग अलग होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2006 (1) पेज 163 एवं आरआरटी 2011 (2)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2343/2011/जयपुर छाजूराम बनाम मैसर्स अंजली बिल्ड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेज 1398 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया। हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 67/2005 बउनवानी छाजूराम बनाम मैसर्स रॉयल ऑरचिड फार्म प्राईवेट लिमिटेड व अन्य में खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मात्र दो खसरा नम्बरान बाबत् ही चाहा गया है जबकि पश्चात्वर्ती वाद संख्या 179/2007 बउनवानी मैसर्स अंजली बिल्ड एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड बनाम छाजूराम में बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नौ खसरा नम्बरान बाबत चाहा गया है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में भिन्न–भिन्न अनुतोष चाहा गया है। वाद कारण भी अलग–अलग होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2011 (2) पेज 1398 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 धारा 10 व 151 वाद का स्थगन आवेदन स्वीकार किया और वादों के आमेलन के लिए आवेदन खारिज किया। ''पक्षकार व प्रश्नगत भूमि समान है किन्तु बिन्दू प्रत्यक्ष अथवा सारवान रूप से समान नहीं है। अनुतोष भी दोनों वादों में एक समान नहीं है। आदेश दोषपूर्ण होने से अपास्त किया।'' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती दावों में विवाद बिन्दू प्रत्यक्ष अथवा सारवान रूप से समान नहीं होने एवं अनुतोष भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2343/2011/जयपुर छाजूराम बनाम मैसर्स अंजली बिल्ड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों दावों में समान नहीं होने पर प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए निगराधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा की पत्रावली नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी.एल. गुप्ता)** **सदस्य**	